20/17 राधाराम v/s धनराम वगैरा

29.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.पांयला कला मे पेश हुई।पक्षकारान बावजुद सुचना के अनुपस्थित।इस कारण प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। हमने पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिसमे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद हिस्से धोषणा एवं बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जो मूलवाद मे साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय किया जावेगा।विवादित भूमि के प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.1 से 9 रिकार्डड सहखातेदार है और रिकार्डड सहखातेदारान को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी सूरत मे हस्तगत प्रकरण मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त योग्य है। न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे जारी स्थगन आदेश को आगे भी जारी रखवाने का हकदार हो। एवं हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नही बनते है। **लिहाजा हस्तगत प्रकरण मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.2.2017 को निरस्त करते हुए प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।**

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलेक्टर
SDC बिलाड़ा

Scanned by CamScanner